केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00511 दिनांक 15.07.2019

सेवा में,

श्री के. आर. नायक,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय सूचना आयोग को संबोधित आपके दिनांक 21.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें । आपके आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । आपके आवेदन का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत संतोषजनक सूचनाएं नहीं प्राप्त होने से आप व्यथित हैं । इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरणों/कार्यालयों के खिलाफ द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।

अत: सुझाव है कि कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें । यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से किसी भी बिंदु पर पूर्णत: या आंशिक रूप से आप संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों (विभाग/कार्यालय) के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतगर्त कार्यरत लोक प्राधिकरणों (विभाग/कार्यालय) के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियॉ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील अथवा शिकायत दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

16/7/15

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690